17/2/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलान-फरीकेन उपस्थित। वहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/2/25 को पेश हो।

27/2/25 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि. 10/3/25 को पेश हो।

10/3/25 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि. 21/3/25 को पेश हो।

21/3/25 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि. 21/4/25 को पेश हो।

21/4/25 पत्रावली आज पेश हुई वकुलान-फरीकेन उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 25/4/25 को पेश हो।

25/4/25 पत्रावली आज पेश हुई वकुलान-फरीकेन उपस्थित। उभयपक्ष के अभिभाषक को पुनः वहस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर अहक... हुक्म ... में ...
	सुनी गई। प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थीगण 2 के अभि० ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी के सभी सह खातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये बिना दावा एवं प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं समस्त पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के अभि० के तर्कों पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्तर्गत धारा 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ जुड़ हो।	